पत्रांक 3054 /वैट धारा–57/08–09/आयु0क0 उत्तरा0/वाणि0कर/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(धारा–57 अनुभाग)
दिनांक :: देहरादून ::15 दिसम्बर 2008

सर्वश्री आकाश ट्रेडिंग कम्पनी,
बिहाइन्ड सिटी, हास्पिटल
नियर रेलवे लाईन, हल्द्वानी
जिला नैनीताल।

आदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत

सर्वश्री आकाश ट्रेडिंग कम्पनी, बिहाइन्ड सिटी हास्पिटल, नियर रेलवे लाईन, हल्द्वानी द्वारा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत दिनांक 01–07–08 को एक प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए निम्न वस्तुओं पर कर की दर से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

1- Empty glass bottles
2- Plastic scrap
3- Waste paper

2– अपना पक्ष रखने के लिए फर्म को नोटिस प्रेषित किया गया लेकिन फर्म की ओर से निश्चित तिथि में कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3– विभागीय पक्ष में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) नैनीताल सम्भाग हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त वस्तुओं उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की किसी भी सूची से आच्छादित नहीं है। अतः इन पर कर की दर 12.5 प्रतिशत होनी चाहिए।

4– विभागीय पक्ष तथा प्रस्तुत धारा–57 के प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त तथ्यों का अवलोकन किया गया तथा Empty glass bottles, Plastic scrap & Waste paper उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2(b)(i) में उल्लिखित वस्तुओं की सूची से आच्छादित हैं। अतः सम्बन्धित प्रश्नगत वस्तुओं पर आर0एन0आर0 (R.N.R) अर्थात 12.5 प्रतिशत की दर से बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर करारोपण होगा। इस प्रकार उक्त का उत्तर दिया जाता है। आदश की प्रति सम्बन्धित व्यापारी को प्रेषित करें।

(वी0के0 सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सर्वश्री आकाश ट्रेडिंग कम्पनी, बिहाइन्ड सिटी हास्पिटल, नियर रेलवे लाईन, हल्द्वानी।

2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।

3– एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।

4– एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

5– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार /काशीपुर /हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिऐशन के पदाधिकारियों/उद्योग/व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।

7– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।

8– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

9– पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय, आई0आई0टी0 रूडकी।

10– संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।

11– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।

12– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस–15/5 राजनगर गाजियाबाद।

13– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।

14– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।

15– विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।